न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अनंत भण्डारी

1. दांडिक विविध प्रार्थना–पत्र संख्या 917/2026
C.I.S. No.–1038/2026,

अरबाज खां पुत्र ईसब खां, उम्र करीबन 28 साल, निवासी ऊंटवाल, पुलिस थाना बगड तिराया, जिला अलवर (राज.)

---प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, अलवर (राज.)

---विपक्षी/अभियोगी

2. दांडिक विविध प्रार्थना–पत्र संख्या 927/2026
C.I.S. No.–1047/2026,

प्रवीण यादव पुत्र सतवीर यादव, उम्र करीबन 33 साल, निवासी ऊंटवाल, पुलिस थाना बगड तिराया, जिला अलवर (राज.)

---प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, अलवर (राज.)

---विपक्षी/अभियोगी

जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 195/2026, पुलिस थाना बगड तिराया, अलवर, अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 316(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 डी आई.टी.एक्ट

उपस्थितः-
1- श्री निर्मल जांगिड, विद्वान अधिवक्ता - प्रार्थी/अभियुक्त अरबाज खां की ओर से।
2- श्री शैलेन्द्र कुमार व कपिल गर्ग, विद्वान अधिवक्तागण - प्रार्थी/अभियुक्त प्रवीण यादव की ओर से।
3- श्री महेश चन्द शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक - राज्य की ओर से।

आ दे श

दिनांकः 10.08.2026

1- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अरबाज खां एवं प्रवीण यादव की ओर से जमानत के यह पृथक-पृथक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 195/2026, पुलिस थाना बगड तिराया, जिला अलवर में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है। उक्त दोनों जमानत आवेदनों के एक ही मामले प्र.सू.रि.सं.195/2026, पुलिस थाना बगड तिराया, जिला अलवर से संबंधित होने के कारण इनका एक साथ इस आदेश के माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है।

2- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि फरियादी राजेश कुमार, सहायक उप-निरीक्षक, पुलिस थाना बगड तिराया ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना बगड तिराया, अलवर पर इस आशय की दर्ज करवाई कि दिनांक 23.07.2026 को हस्ब तलविदा उपस्थित आये। संदिग्ध

अरबाज खां व प्रवीण यादव के कब्जे में मिले मोबाइलों का निरीक्षण च चैक करने हेतु कानि. महेश मीना को स्वतंत्र गवाह लाने हेतु भेजा। जिसने थोडी देर बाद वापस आकर बताया कि सभी ने कोर्ट कचहरी व पुलिस के चक्कर में नहीं पडने की कहकर गवाह बनने से इंकार कर दिया। जिस पर कानि. महेश मीना व कानि. तारेश कुमार को गवाह मामूर कर संदिग्ध अरबाज के कब्जे में मिले दो आईफोन में से आईफोन 17 प्रो को चैक किया तो उसमें सिम नं.8544422222 व अनेक एप एक्टीवेट थे। उक्त मोबाइल में वाट्सऐप चैक की तो उसकी आईडी अरबाज खां के नाम से मोबाइल नं.8544422222 पर एक्टीवेट है। स्वयं अरबाज की प्रोफाइल फोटो लगी है। फेसबुक को चैक किया तो अरबाज नाम की आईडी एक्टीवेट है। दूसरे आईफोन 16 प्रो को चैक किया तो उसमें सिम नं.9009004032 व अनेक ऐप एक्टीवेट हैं। जिनमें से वाट्सऐप को चैक किया तो उस पर प्रोफेशनल आईडी मोबाइल नं.9009004032 पर एक्टीवेट है। उक्त मोबाइल नंबरों को अलग-अलग संपर्क पोर्टल पर डालकर चैक किया तो मोबाइल नं. 9009004032 पर ऑनलाईन फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायत दर्ज है। जिसका प्रिंट निकालकर चैक किया तो उक्त शिकायत दिनांक 23.03.2026 को प्रतीक शुक्ला ने अपने साथ 1,30,10,406/-रूपये की ठगी होने की दर्ज कराई। जिस ठगी की राशि में से 1004 रूपये अरबाज के कब्जे में मिले मोबाइल नं.9009004032 पर रिचार्ज हुआ है। प्रवीण यादव के कब्जे में मिले दो फोन में से एन्ड्रॉइड रियलमी 11 प्रो को चैक किया तो उसमें सिम नं.7976405176 व अनेक ऐप एक्टीवेट थीं। दूसरे आईफोन 16 प्रो को चैक किया तो उसमें सिम नं.8209522571 व अनेक ऐप एक्टीवेट थीं। यूज्ड एज प्राइमरी में नंबर 9813225972 व 7976405176 दर्शित है, लेकिन एक्टीवेट नहीं है। वाट्सऐप को चैक किया तो उस पर राव नाम की प्रोफाइल आईडी मोबाइल नं.7976405176 पर एक्टीवेट है एवं फेसबुक पर प्रवीण यादव नाम की आईडी एक्टीवेट है। प्रवीण के कब्जे में मिले मोबाइल नंबर को अलग-अलग संपर्क पोर्टल पर डालकर देखा तो मोबाइल नं.7976405176 पर ऑनलाईन फांइनेशियल फ्रॉड की शिकायत दर्ज है। जिसका प्रिन्ट निकालकर देखा तो उक्त शिकायत दिनांक 10.12.2024 को सुरजीत सिंह ने दर्ज कराई, जिसमें बताया कि उसके पास एक ब्रोकर ने निवेश करने हेतु संपर्क किया, तो उसने उसके यूपीआई आईडी पर 50,000 रूपये ट्रांसफर कर दिये। लेकिन ब्रोकर ने कहा कि उसे रकम नहीं मिली और दुबारा पैसे की डिमाण्ड करने लगा। जब उसने उससे निवेश ना करके अपने पैसे वापस मांगे तो उसने जवाब देना बंद कर दिया, ना ही पैसे लौटाये। उसके बाद उसने आरबीआई के लोकपाल को शिकायत दर्ज कराई, जिस पर जवाब मिला कि उसकी उक्त राशि प्रवीण यादव के मोबाइल नं.7976405176 पर ट्रांसफर की गई है। जो श्याम पाईप एण्ड बोरवेल के खाताधारक हैं। जिसकी मर्चेंट आईडी स्मॉल फाइनेंस बैंक की अलवर शाखा राजस्थान में है। फिर उसने प्रवीण से बात की तो उन्होंने पैसे वापस लौटाने का वादा किया। लेकिन दो दिन बाद फोन बंद कर लिया। तत्पश्चात् मोबाइलों के निरीक्षण के बाद संदिग्ध अरबाज खां व प्रवीण से उनके कब्जे में मिले सिम नंबरों पर दर्ज ऑनलाईन फांइनेशियल फ्रॉड की शिकायतों के बार में पूछताछ की तो दोनों ने बताया कि वे दोनों लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक, वाट्सऐप पर फर्जी आईडी बनाकर ऑनलाईन ट्रेडिंग मार्केट में शेयर, बिटकॉइन खरीदने हेतु प्रेरित करते हें। लोग उनके द्वारा भेजी गयी फर्जी आईडी पर रकम लगाते हैं। वे उन्हें फंसाने के लिये उनको ऑनलाईन उनके खाते में अच्छा खासा लाभ दिखाते हैं, जिससे वह उनके द्वारा दिये गये प्रलोभन में फंस जाते हैं और मोटी रकम इन्वेस्ट करते है। उसके बाद इस राशि को वे अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवा लेते हैं। जिन खातों में वे ठगी की राशि ट्रांसफर करवाते हैं, उन खातें को भोले भाले लोगों को उनके नाम लोन पास कराने का प्रलोभन देकर उनके नाम से खाता खुलवाते हैं और उनके खातों से वे उनकी फर्जी सिम को लिंक करवा लेते हैं एवं एटीएम जारी करवा लेते हैं। उसके बाद खातों में जो भी ठगी की राशि आती है, उसे फोन पे व एटीएम से निकालकर उपयोग में लेते हैं.....इत्यादि।

3- उक्त आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 195/2026, पुलिस थाना बगड तिराया, जिला अलवर पर अपराध अंतर्गत धारा 318(4), 316(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 डी आई.टी.एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया। प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण को दिनांक 24.07.2026 को गिरफ्तार कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण की जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2026 को खारिज किया गया, जिस पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा हस्तगत पृथक-पृथक जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

4- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा बहस के दौरान कथन किये गये हैं कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में गलत व झूंठा फंसाया गया है, वे निर्दोष हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त अरबाज के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त अरबाज के कब्जे से मिले मोबाइल फोन के नंबर पर 1,004 रूपये का रिचार्ज होना पाया गया है, जो साईबर अपराध से प्राप्त राशि से होना बताया गया है, परंतु वह राशि किसी साईबर अपराध से प्राप्त राशि नहीं थी। प्रार्थी/अभियुक्त प्रवीण यादव के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रवीण के पास मिले मोबाइल फोन से भी ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है कि उसने कोई साईबर अपराध किया हो। उनका यह भी तर्क रहा कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रवीण के खाते में 50,000 रूपये यू.पी.आई. से ट्रांसफर हुए थे, जो कि वापस लौटा दिये गये हैं और उक्त 50,000 रूपये के संबंध में परिवादी द्वारा जो शिकायत दर्ज करवाई गई थी, वह समाप्त हो चुकी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में गलत रूप से गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कई दिनों से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगेगा। अतः जमानत का लाभ प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

5- इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का कथन रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण साईबर अपराध में लिप्त रहे हैं। साईबर क्राईम पोर्टल पर शिकायतकर्ता प्रतीक शुक्ला द्वारा उसके साथ 1,30,10,406/-रूपये की साईबर ठगी होने के संबंध में शिकायत की गई है। उक्त साईबर ठगी की राशि में से कुछ राशि प्रार्थी/अभियुक्त अरबाज को प्राप्त हुई है, जो 1,004 रूपये है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रवीण यादव के खाते में भी 50,000 रूपये साईबर ठगी से प्राप्त होना आया है, जिसके संबंध में भी साईबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज हुई है। दोनों ही प्रार्थीगण/अभियुक्तगण साईबर अपराध में लिप्त रहे हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण आदतन अपराधी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। वर्तमान में इस प्रकार के अपराध निरंतर बढते जा रहे हैं। अतः जमानत आवेदनों को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6- उभय पक्षों को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी पर प्रार्थी/अभियुक्त अरबाज का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निल बताया गया है, परंतु अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध एक अन्य आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज होने के संबंध में एफ.आई.आर. संख्या 111/2025 पुलिस थाना टपूकडा, भिवाडी की प्रति पेश की गई है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में दर्ज आपराधिक प्रकरण का विवरण निम्नलिखित प्रकार हैः-

क्र.सं.	एफ.आई.आर. नं./ पुलिस थाना	केस नं.	न्यायालय का नाम	धाराऐ	स्टेटस	जमानत की दिनांक	आगामी पेशी
1.	**111/2025 टपूकडा, भिवाडी**	-	-	**112(2), 318(2), 318(4), 61(2) B.N.S., 66 IT Act,3/4 R.P.G.O.**	-	-	-

7- केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त प्रवीण यादव के विरूद्ध पूर्व में 02 आपराधिक प्रकरण दर्ज होना प्रकट होता है, जिनका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः-

क्र.सं.	एफ.आई.आर. नं./ पुलिस थाना	केस नं.	न्यायालय का नाम	धाराऐ	स्टेटस	जमानत की दिनांक	आगामी पेशी
1.	**197/2020 रामगढ,**	-	-	**323, 341, 324, 325, 308, 427, 34 I.P.C.**	-	-	-
2.	**891/2012 कोतवाली, अलवर**	-	-	**379, 411 I.P.C.**	-	-	-

8- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से लोगों के साथ प्रतिरूपण द्वारा छल कारित करने तथा आपराधिक न्यासभंग करने संबंधी धारा 318(4), 316(2)

भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 डी आई.टी.एक्ट के आरोप हैं। हम पाते हैं कि पुलिस द्वारा किये गये अनुसंधान में शिकायतकर्ता प्रतीक शुक्ला के साथ 1,30,10,406 रूपये की राशि की साईबर ठगी का मामला दर्ज हुआ है, जिनमें से 1,004/– रूपये प्रार्थी/अभियुक्त अरबाज खां को प्राप्त होना बताया गया है, जिसके संबंध में अनुसंधान चल रहा है तथा अन्य प्रार्थी/अभियुक्त प्रवीण यादव के खाते में साईबर अपराध की राशि 50,000/– रूपये जमा होना प्रथमदृष्टया सामने आया है। दोनों ही प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध मौजूदा मामला साईबर अपराध से संबंधित है। प्रार्थी/अभियुक्त अरबाज खां के विरूद्ध पूर्व में एक अन्य प्रकरण, साईबर अपराध से संबंधित दर्ज होना पाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप है। इस तरह के साईबर फ्रॉड राष्ट्रीय स्तर पर बडे पैमाने पर कारित हो रहे हैं।

9– साईबर क्राईम के मामलों में अलवर क्षेत्र विगत कुछ समय से राष्ट्रीय स्तर पर कुख्यात रहा है एवं अलवर के क्षेत्र विशेष में साईबर अपराधों का सेंटर बना होना भी विभिन्न इलैक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया खबरों के माध्यम से पढने–सुनने को मिलता है। इस प्रकार के मामलों में यदि जमानत का लाभ प्रदान किया जाता है, तो इस प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से ठगी के मामलों को बढावा मिलेगा एवं इससे समाज में न्यायालयों के प्रति अविश्वसनीयता की भावना बढेगी। प्रकरण अभी अनुसंधान की प्रक्रिया से गुजर रहा है। प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर टिप्पणी किया जाना उचित नहीं समझता हूं। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को देखते हुये प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को इस मामले में जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

-आदेश-

10- लिहाजा, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अरबाज खां पुत्र ईसब खां एवं प्रवीण यादव पुत्र सतवीर यादव की ओर से प्रस्तुत हस्तगत पृथक-पृथक जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार किये जाकर खारिज किये जाते हैं।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर

11- आदेश आज दिनांक 10.08.2026 को लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन विवृत न्यायालय में उदघोषित किया गया।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर